



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
एफए नंबर 189/2018
संस्थित दिनांक 22.07.2021
घोषित दिनांक 10.08.2021

- 1/ सद्दाम हुसैन कुरैशी, पुत्र-मोइनुद्दीन कुरैशी, आयु लगभग 19 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, आर/ओ० मायापुर, वार्ड नंबर 32, गुरुद्वारा वार्ड निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
- 2/ सलाउद्दीन कुरैशी, पुत्र-मोइनुद्दीन कुरैशी, आयु लगभग 18 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, आर/ओ० मायापुर, वार्ड नंबर 32, गुरुद्वारा वार्ड निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
- 3/ अमन कुरैशी, पुत्र-मोइनुद्दीन कुरैशी, आयु लगभग 19 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, आर/ओ० मायापुर, वार्ड नंबर 32, गुरुद्वारा वार्ड निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
- 4/ नसीमुन निशा, पत्नि स्व० मोइनुद्दीन कुरैशी, आयु लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, आर/ओ० मायापुर, वार्ड नंबर 32, गुरुद्वारा वार्ड निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ (वादीगण)

..... अपीलार्थी



(2)

// विरुद्ध //

- 1/ सुरेश कुमार गोमल, पिता श्री गंगा विष्णु गोमल, उम्र लगभग 47 वर्ष, जाति अग्रवाल, व्यवसाय- व्यवसायी, आर/ओ- ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर, तहसील सुरजपुर, जिला सुरजपुर, छत्तीसगढ़,
- 2/ मासूम कुरैशी, पिता दिलशाद अहमद, उम्र लगभग 33 वर्ष, आर/ओ० मायापुर, वार्ड नंबर 32, गुरुद्वारा वार्ड निगम, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
- 3/ छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से कलेक्टर, सुरजपुर, जिला सुरजपुर, छत्तीसगढ़
- 4/ श्रीमती सुनिता मित्तल, पति श्री सुरेश मित्तल, आयु लगभग 28 वर्ष, जाति अग्रवाल, आर/ओ० मायापुर, चांदनी चौक, अंबिकापुर, थाना और तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
- 5/ श्रीमती संजना तायल, पति श्री मुकेश तायल, आयु, लगभग 35 वर्ष, जाति अग्रवाल, आर/ओ० मायापुर, चांदनी चौक, अंबिकापुर, थाना और तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़



(3)

(प्रतिवादीगण)

..... उत्तरवादीगण

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए: श्री शक्ति राज सिन्हा,
अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए: कोई नहीं।
राज्य/प्रतिवादी संख्या 3 के लिए: श्री देवेश चंद्र वर्मा,
जी.ए.
प्रतिवादी संख्या 5 के लिए: सुश्री प्रियंका मेहता,
अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल,

जे.सी.ए.वी. निर्णय/आदेश

1. यह अपील वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सी.पी.सी.' कहा जाएगा) की धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें सिविल वाद संख्या 50-ए/2011 में



(4)

पारित दिनांक 25.01.2018 के आदेश की वैधता और औचित्य पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सी.पी.सी. की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा इसे वर्जित मानते हुए वाद को खारिज कर दिया है। इस अपील के पक्षकारों को ट्रायल कोर्ट में उनके विवरण के अनुसार आगे संदर्भित किया जाएगा।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा का दावा करते हुए वाद दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उनके हित-पूर्ववर्ती अर्थात् मोइनुद्दीन वादपत्र अनुसूची "ए" में वर्णित संपत्ति के पूर्व स्वामी थे और 18.02.2002 को उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात यह संपत्ति उन्हें विरासत में मिली थी। वादीगण के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 2 मासूम कुरैशी, जो उनकी मृतक बहन फातिमा का पुत्र था, ने उनके नाबालिग होने का अनुचित लाभ उठाकर उनके साथ ही राजस्व कागजात अपने नाम



(5)

पर नामांतरण करवा लिए थे और उसका एक हिस्सा, अर्थात् वाद पत्र अनुसूची "बी" में वर्णित वाद संपत्तियां प्रतिवादी क्रमांक 1 सुरेश कुमार गोयल को बिना किसी प्राधिकार के दिनांक 09.09.2004 को पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत बेच दी, जिसने बदले में राजस्व कागजात अपने नाम पर दर्ज करवाकर प्राप्त कर लिया। वादीगण का आगे का तर्क यह है कि उक्त प्रतिवादी ने बदले में उसका एक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 अर्थात् श्रीमती सुनीता मित्तल और श्रीमती संजना तायल को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 03.03.2011 के तहत बेच दिया और इसलिए, उन्हें तत्काल दिनांक 05.05.2011 को प्रकृति में मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य हुए, और जिसमें अनुसूची 'बी' में दर्शित संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व का दावा करते हुए कथित पंजीकृत विक्रय विलेख को शून्य घोषित कर सत्व की घोषणा की मांग किया गया है और प्रतिवादियों के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने हेतु निषेधित किये जाने निवेदन किया गया।

3. प्रतिवादी 1 ने मुकदमे का विरोध किया है और सुनवाई के



(6)

दौरान सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कथित नामांतरण, जो वादीगण के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज किया गया था, और प्रतिवादी-मासूम कुरैशी के साथ-साथ कथित बिक्री पर जहांआरा नामक एक व्यक्ति ने सवाल उठाया था, जबकि वह खुद को मोइनुद्दीन की बेटी बता रही थी, जो सिविल मुकदमा संख्या 4-ए/2008 के रूप में पंजीकृत था, जिसे सिविल मुकदमा संख्या 1-ए/2013 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था, जिसमें वह और वादीगण पक्षकार थे और चूंकि उक्त मुकदमा 20.01.2013 को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अंबिकापुर के समक्ष लोकअदालत में समझौते के आधार पर वाद खारिज कर समाप्त कर दिया गया था, इसलिए, उसी विषय-वस्तु के संबंध में तत्काल दावा पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है और इसलिए वाद अस्वीकृत किए जाने योग्य होना कहा है।

4. उपर्युक्त आवेदन के उत्तर में वादीगण द्वारा यह कहा गया कि



(7)

चूंकि कथित वाद में शामिल मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया गया था और न ही उनकी मां नशीमुन निशा को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए वर्तमान वाद में पूर्व न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

5. उपर्युक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि पूर्व वाद, जो कि इसी विषय-वस्तु के संबंध में सिविल वाद संख्या 1-ए/2013 था, समझौते के आधार पर समाप्त हुआ था और 20.01.2013 को फैसला सुनाया गया था, इसलिए इस मुकदमे को पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज कर दिया है। उक्त खारिजी आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

6. वादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि सिविल वाद संख्या 1-ए/2013 में पारित समझौता



डिक्री दिनांक 20.01.2013 के मद्देनजर दावे को पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित मानने वाला निचली अदालत का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है। उनके अनुसार, न तो वादीगण की मां उक्त वाद में पक्षकार थी और न ही इसमें शामिल मुद्दों के न्यायनिर्णयन पर निर्णय लिया गया था, इसलिए, इसे उक्त सिद्धांतों के तहत वर्जित नहीं माना जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्व न्याय के सिद्धांत केवल तभी लागू होंगे जब मामले का निर्णय पक्षों के बीच शामिल मुद्दों के न्यायनिर्णयन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय द्वारा किया जाता है और चूंकि मुद्दों का न्यायनिर्णयन नहीं किया गया है, इसलिए, निचली अदालत ने पूर्व न्याय के सिद्धांतों को लागू करके दावे को खारिज करने में गंभीर अवैधता की है और अपने पक्ष के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत पुलावर्ती वेंकट, सुब्बा राव और अन्य बनाम वल्लूरी जगन्नाथ राव (मृतक) उनके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य, एआईआर 1967 एससी 591 और श्रीमती वी. राजेश्वरी बनाम टीसी सरवनबावा (2004)



(9)

1 एससीसी 551 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये हैं ।

7. दूसरी ओर, संबंधित प्रतिवादियों के लिए उपस्थित विद्वान वकीलों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है तथा सम्पूर्ण अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने में निचली अदालत का आदेश उचित था और सी.पी.सी. की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित माना गया है?

10. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण के दावे को पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा केवल इस आधार पर वर्जित



माना गया है कि चूंकि पूर्ववर्ती वाद, सिविल वाद संख्या 1-ए/2013, जो कि भूतपूर्व स्वामी की तथाकथित पुत्री जहांआरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दिनांक 20.01.2013 के समझौता डिक्री के आधार पर तय किया गया था, इसलिए, यह वाद उक्त सिद्धांतों द्वारा ग्रस्त है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती वाद में वादीगण की मां नशीमुन निशा न तो पक्षकार थी, न ही उस पर पक्षों के बीच शामिल मुद्दों के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया गया था और न ही इसकी दलीलें अभिलेख पर रखी गई हैं। फिर भी, निचली अदालत ने पूर्व न्याय के सिद्धांतों को लागू करते हुए, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद को खारिज कर दिया है।

11. जहां तक पूर्व न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में **सैयद मोहम्मद साली लब्बाई (मृत) द्वारा Lrs और अन्य बनाम मोहम्मद हनीफा (मृत) द्वारा Lrs और अन्य एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट 1569** में उल्लेख



किया है कि सीपीसी की धारा 11 के तहत पूर्व न्याय के सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को स्थापित करने की आवश्यकता है:— (i) मुकदमा करने वाले पक्ष एक ही होने चाहिए; (ii) मुकदमे का विषय भी समान होना चाहिए; (iii) मामले को पक्षों और के बीच अंतिम रूप से तय किया जाना चाहिए; (iv) मुकदमे का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिविल वाद संख्या 1-ए/2013 में लोक अदालत द्वारा पारित दिनांक 20.01.2013 का कथित समझौता डिक्री केवल उक्त वाद के पक्षकारों की सहमति के आधार पर उसमें शामिल मुद्दों पर निर्णय लिए बिना बनाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, यह **पुलावर्ती वेंकट, सुब्बा राव एवं अन्य बनाम वल्लूरी जगन्नाथ राव (मृतक)** द्वारा **उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य (सुप्रा)** मामले के पैरा 10 में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है:—

10. समझौता डिक्री न्यायालय द्वारा



लिया गया निर्णय नहीं था। यह न्यायालय द्वारा किसी ऐसी बात को स्वीकार करना था जिस पर पक्षकार सहमत थे। यह कहा गया है कि समझौता डिक्री केवल पक्षों के समझौते पर न्यायालय की मुहर लगाती है। न्यायालय ने कुछ भी तय नहीं किया। न ही यह कहा जा सकता है कि न्यायालय का निर्णय इसमें निहित था। न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय ही पूर्व न्याय हो सकता है, चाहे वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अंतर्गत वैधानिक हो या सार्वजनिक नीति के मामले में रचनात्मक हो, जिस पर संपूर्ण सिद्धांत आधारित है।

13. इसके अलावा, सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत रिस ज्यूडिकेटा के सिद्धांतों को लागू करने से पहले, निचली अदालत



को न केवल पहले से संस्थित मुकदमे की संपूर्ण दलीलों की जांच करनी चाहिए थी, बल्कि यह भी देखना चाहिए था कि यह गुण-दोष के आधार पर तय किया गया था या नहीं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समझौता डिक्री के आधार पर समाप्त हुए पहले के मुकदमे की दलीलों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था और केवल उक्त सहमति डिक्री के आधार पर, दावे को सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्याय के सिद्धांतों द्वारा प्रभावित माना गया था। हालाँकि, पहले से स्थापित मुकदमे की दलीलों के अभाव में, निचली अदालत को **वी. राजेश्वरी (एसएमटी) बनाम टीसी सरवनबावा (सुप्रा)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनजर शिकायत को खारिज करने से बचना चाहिए था, उक्त न्याय दृष्टांत के पैरा 13 में यह उल्लेखित किया गया है जो इस प्रकार है:—

13. न केवल दलील को लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे पिछले मामले में दलीलों, मुद्दों और



फैसले की प्रतियां पेश करके पुष्टि की जा सकती है। हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में केवल पिछले मुकदमे में फैसले की प्रति ही रेस जुडिकाटा की दलील के सबूत के तौर पर दाखिल की गई हो और फैसले में दलीलों और मुद्दों का विस्तृत या अपेक्षित विवरण हो जिसे पर्याप्त सबूत माना जा सकता है। लेकिन जैसा कि **सैयद मोहम्मद साली लब्बाई बनाम मोहम्मद हनीफा (1976) 4 एससीसी 780** में बताया गया है, पूर्व न्याय के सवाल का फैसला करने की बुनियादी विधि सबसे पहले पक्षों के मामले को उनके पिछले मुकदमे की संबंधित दलीलों में पेश किए गए मामले के रूप में निर्धारित करना और फिर यह पता लगाना है कि फैसले द्वारा क्या तय किया गया था जो रेस जुडिकाटा के रूप में काम करता है। फैसले में उल्लिखित



दलीलों में लगाए गए आरोपों के सारांश के आधार पर दलीलों के बारे में अनुमान लगाना जोखिम भरा है। संविधान पीठ ने **गुरबक्स सिंह बनाम भूरालाल (1964) 7 एससीआर 831** में पूर्व न्याय की दलील और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत एस्टॉपेल की दलील को एक समान रखते हुए माना कि पिछले मुकदमे में शिकायत का सबूत जो रोक लगाने के लिए निर्धारित है, रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। दलील मूल रूप से दो मुकदमों में कार्रवाई के कारण की पहचान पर आधारित है और इसलिए, यह आवश्यक है कि बचाव पक्ष जो रोक लगाता है वह पिछले मुकदमे में कार्रवाई का कारण स्थापित करे। ऐसी दलीलों को केवल अटकलों या कटौती की प्रक्रिया द्वारा अनुमान लगाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है कि





पिछली दलीलों में क्या तथ्य बताए गए थे।
काली कृष्ण टैगोर बनाम सेक्रेटरी सचिव भारत
सरकार (1887-88) 15 आईए 186 में प्रिवी
काउंसिल ने बताया कि, पिछले मुकदमे में क्या
मुद्दे थे और क्या सुना गया और क्या निर्णय
लिया गया, यह पता लगाए बिना पूर्व न्याय की
दलील निर्धारित नहीं की जा सकती। कहने की
जरूरत नहीं है कि इनका पता केवल पिछले
मुकदमे में दलीलों, मुद्दों और फैसले को देखकर
ही लगाया जा सकता है।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि, इस मामले में वादी
मां को न तो सिविल सूट नंबर 1-ए/2013 में पक्षकार बनाया
पाया गया, जो दिनांक 20.01.2013 को निकाले गये समझौते
डिक्री के आधार पर समाप्त हो गया था, न ही इसकी दलीलों को
रिकॉर्ड पर रखा गया था, न ही इसमें शामिल मुद्दों पर निर्णय लिया



गया था। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय में धारा 11 के सिद्धांतों को माना है, उक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए और उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, इसलिए वादी के दावे को पूर्व न्याय के सिद्धांत के तहत प्रभावित नहीं माना जा सकता है।

15. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और सिविल सूट संख्या 50-ए/2011 में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित दिनांक 25.01.2018 के विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को उक्त न्यायालय और/या संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वह मुकदमे को अपनी फाइल में बहाल करे और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर फैसला करे। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

